न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2019
दायरी दिनांक : 16.01.2019

उनवान

1. शिव लाल पिता भंवर लाल हरिजन, निवासी नन्दराय तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. पार्वती पत्नि शिवलाल हरिजन, निवासी नन्दराय तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता देवा खटीक निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

1. श्री जय कुमार जैन (अधिवक्ता प्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 बाबत् प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

—: निर्णय :—

निर्णय दिनांक : 17.03.2021

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी के प्रकरण संख्या 53/2018 उनवान रामचन्द्र पिता देवा खटीक बनाम शिव लाल पिता भंवर लाल हरिजन वगैरह एवं इससे सम्बन्धित प्रकरण संख्या 66/2018 उनवान रामचन्द्र पिता देवा खटीक बनाम शिव लाल हरिजन वगैरह को अन्य न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है कि उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के यहाँ जैर कार्यवाही है जिसमें दिनांक 26.12.2018 को तारीख पेशी नियत थी जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिकार पत्र एवं जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में आगामी पेशी बाबत् तनकियात दिनांक 09.01.2019 को नियत कर दी गई। उस वक्त वादी की ओर से मौके के निरीक्षण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही दिनांक 26.12.2018 की फर्द अहकाम में आवेदन का हवाला है, न ही उसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी व अवैध रूप से मौके की रिपोर्ट तहसीलदार कोटड़ी को कमिश्नर नियुक्त कर मांग ली गई, जिस बाबत् प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही जवाब लिया गया एवं न ही सुना गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध एव गैर कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र में दिनांक 26.12.2018 को अगली पेशी 09.01.2019 नियत की गई, किन्तु उक्त प्रकरण में अगली पेशी दिनांक 10.01.2019 को फर्द अहकाम लिखी जाकर कमिश्नर रिपोर्ट रिकॉर्ड पर ले ली गई जबकि न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार कोटड़ी ने कोई रिपोर्ट मौके की नपती कर अथवा पक्षकारों को बिना सूचित किये मात्र पटवार हल्का ने उसके कार्यालय में बैठकर मौके की रिपोर्ट बना दी जो बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई।